स्वच्छता कार्य में ओर अधिक गति लाएं-निगम आयुक्त श्री झारिया

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम 27-2-22

स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर स्वच्छता कार्य में ओर अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सफाई कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सीवरेज होम कनेक्शन के पश्चात सूख चुकी नालियों में किसी प्रकार का कचरा ना हो साथ ही गीली नालियों में भी किसी प्रकार से गीला कचरा ना रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाये। साथ ही उन्होने निर्देशित किया शहर के मुख्य मार्गो की सफाइ प्रातः दोपहर व रात्री में प्रतिदिन नियमित रूप से की जाये व सड़क के किनारो, फुटपाथ व डिवाईडरो के आस पास कचरा व मिट्टी की पुरी तरह से सफाई कराई जाये तथा जहां आवश्यकता हो वहां ट्रीटेड वॉटर से धुलाई करवाई जाये।

इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि नगर के 101 ऐसे उद्यान जहां औषधीय पौधो का रोपण किया गया है वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से करवाई जाये।

बैठक में उन्होने कहा कि सीवरेज के ट्रीटेड वॉटर का रियूज भवन निर्माण कार्यों में अधिक से अधिक हो इसलिये झोन प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में कमर्शियल ट्यूबवेलो का सर्वे कर सूची प्रस्तुत करें ताकि उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, ब्रजेश कुशवाह, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, झोन प्रभारी व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

नागरिक व दुकानदार कोविड का पालन करें

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिशठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। अवन्तिका 27-2

शहर के चार स्थानों से हटाया अतिक्रमण

रतलाम । नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने 25 फरवरी को माणक चौक क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रारंभ करते हुए महालक्ष्मी मंदिर से गणेश देवरी तक 40 दुकानों के सामने बने ओटले, टीन पेड को हटाया गया व दुकानों के बाहर रखे समान को हटाते हुए 10 ठेलागाड़ियों को भी हटाया। इसके अलावा डाट की पुल से डीआरएम ऑफिस तक होटल व दुकानदारों द्वारा सड़क व फुटपाथ पर रखी सामग्री को हटाते हुए दो बत्ती क्षेत्र में जी.डी. अंकलेसरिया द्वारा भवन निर्माण सामग्री व मलबे को जब्त किया गया। इसके अलावा प्रताप नगर ब्रीज से ठेलागाड़ी को जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में की गई इस अवसर पर नगर निगम इंजीनियर व पुलिस प्रशासन उपस्थित था।

अवन्तिका 27-2-22

सिटी ब्यूटीफिकेशन के कार्य में और अधिक गति लायें

निगम आयुक्त झारिया ने बैठक में दिये निर्देष

रतलाम। स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर सॉलिड वेस्ट, सिटी ब्यूटीफिकेशन, ट्रीटेड वॉटर के रियूज, पॉलीथीन प्रतिबंध किये जाने के निर्देश संबधितों को दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया सड़कों से सॉलिड वेस्ट उठाने, सड़कों की साईडों व डिवाईडरों से धूल व घांस-फुस हटाने का कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाये।

शासन निर्देशानुसार 1 से 5 मार्च तक चलाये जाने वाले अंकूर अभियान के तहत पौधारोपण की कार्ययोजना

2 दिवस में तैयार करने, नगर के प्रत्येक वार्ड के एक-एक स्थान पर ब्यूटीफिकेशन के कार्य तेजी लाने के निर्देश के साथ ही 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान में तेजी लाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबधितों को दिये। निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में ट्यूबवेलों का व्यावसायिक उपयोग करने वालो का सर्वे 3 दिवस में पूर्ण करने, स्वच्छता एप पर प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा मे निराकरण करने, खाली प्लाट के स्वामियों को नोटिस जारी करने निर्देष दिये।

आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, उपयंत्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, ब्रजेश कुशवाह, राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक सुभाष गोयल, झोन प्रभारी व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

इन्दौर समाचार 27-2-22

नगर निगम की कार्यवाही को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप से मिले डिस्पोजल व्यापारी

रतलाम। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तु-स्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हे व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए। डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है। शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहीं कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हे निर्देशित किया। इस दौरान व्यापारी संघ के राहुल पोखरना, अर्पित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, यशवंत राठौर, संदीप उपाध्याय, शेखर घोचा, त्रिलोक तिकवानी, प्रमोद लोढ़ा आदि उपस्थित रहे।

सीवरेज ट्रीटेड वाटर का रियूज कर भू-जल स्तर बचायें, ट्रीटेड वॉटर की दरें हुई निर्धारित

रतलाम। नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर निर्माण कार्य, उद्यानों-खेतों में सिंचाई सहित अन्य कार्यों में उपयोग हेतु खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट पर विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम शहर में अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड पर 4.50 एमएलडी व खेतलपुर में 3.35 एमएलडी सीवरेज वॉटर ट्रीटेड होना प्रारंभ हो चुका है। इसके विक्रय हेतु नगर निगम द्वारा दरें निर्धारित की गई है जिसके तहत 50/- प्रति किलोलीटर, 3000 क्षमता टैंकर 150/-, 4000 क्षमता टैंकर 200/-, 5000 क्षमता टैंकर 250/-, 12000 क्षमता टैंकर 600/-, 24000 क्षमता टैंकर 1200/- है। नागरिक भवन व अन्य निर्माण कार्यों, खेतों व बगीचों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए रियायती दर पर नगर निगम के एसटीपी प्लांट से ट्रीटेड वॉटर क्रय कर सकते है जिससे राशि की बचत होने के साथ ही भू-जलस्तर भी बना रहेगा। शहर में निजी ट्यूबवेलों से टैंकरो द्वारा पानी का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ट्यूबवेल मालिक निर्माण कार्यों एवं सिंचाई हेतु पानी का विक्रय ना करें अन्यथा की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

महाशिवरात्रि त्योहार के दृष्टिगत कलेक्टर ने मंदिरों का लिया जायजा

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम शनिवार को रतलाम स्थित श्री गढ़ कैलाश मंदिर पहुंचे। उन्होंने आगामी महाशिवरात्रि त्योहार के दृष्टिगत मंदिर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर से जुड़े व्यक्तियों से चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एसडीएम राजेश शुक्ला, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।

दै. अवन्तिका 27-2-22

जिले में नेशनल लोक अदालत का 12 मार्च को होगा आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/- (रुपए पचास हजार) से अधिक तथा रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000/- से अधिक तथा रुपए 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 1,00,000/- (रुपए एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12/03/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

आज से पिलाई जाएगी पोलियो की दवा

रतलाम। जिले में 27 फरवरी को 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के संबंध में जागरूकता रैली को सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे एवं डीआईओ डॉ. वर्षा

जागरूकता रैली निकाली

कुरील ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम जिले में 0 से 5 वर्ष के 211080 बच्चों को रविवार को पोलियों दवा की दो बुद पिलाने के लिए तैयारियां की गई है। इसके लिए 3446 कर्मचारी 1716 टीम, 1192 बूथ के माध्यम से दवा पिलाने का कार्य करेंगे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 27 फरवरी को बूथ पर एवं 28 फरवरी एवं 2 मार्च को छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी।

कार्यक्रम में हर बूथ पर दो कर्मचारियों को तैनात किया गया है। एक कर्मचारी बच्चों को दवा पिलाएगा तथा दूसरा सहयोगी बच्चों की अंगुली पर निशान लगाएगा ताकि दवा से वंचित बच्चों की पहचान की जा सके। भारत

में पोलियो का अंतिम प्रकरण 2011 में कलकत्ता के हावडा में देखा गया था। अन्य पडोसी देशों में प्रकरण मिलने के कारण बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाना आवश्यक है। पल्स पोलियो अभियान की जागरूकता रैली जिला चिकित्सालय से प्रारंभ होकर शहर सराय होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय पर समाप्त हुई। रैली के दौरान आशीष चौरसिया, लोकेश वैष्णव, हिमांशु व्यास, शरद शुक्ला, जयंत शर्मा, निलेश चौहान, अनिल परिहार, मीनाक्षी गौड, वैभव पंडया, दर्पण त्रिवेदी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, शासकीय नर्सिंग कॉलेज की प्रशिक्षु छात्राऐं एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

27-2-22

नगर निगम की कार्यवाही को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप से मिले डिस्पोजल व्यापारी

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए।

डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है।

शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहीं कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हें निर्देशित किया। इस दौरान व्यापारी संघ के राहुल पोखरना, अर्पित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, यशवंत राठौर, संदीप उपाध्याय, शेखर घोचा, त्रिलोक तिकवानी, प्रमोद लोढ़ा आदि उपस्थित रहे।

प्रसारण

कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 3 हजार 800 हितग्राहियों को लगभग 25 करोड़ रुपये के ऋण लाभ प्रदान किए गए

रतलाम। जिला मुख्यालय पर 25 फरवरी को रोजगार दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण लाभ प्रदान किए गए। इस अवसर पर 3 हजार 800 हितग्राहियों को करीब 25 करोड़ रूपए के ऋण लाभ मिले। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रतलाम ग्रामीण श्री दिलीप मकवाना थे। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर. रामाकृष्णा नाईक, डूडा के परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक, वेटरनरी उपसंचालक श्री आर.के. शर्मा, उप संचालक उद्यानिकी श्री पी.एस. कनेल, ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्री हिमांशु शुक्ला, महाप्रबंधक उद्योग श्री मुकेश शर्मा, उपायुक्त नगर निगम श्री विकास सोलंकी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी श्री प्रकाश उपाध्याय, श्री दिनेश पांचाल एवं शासकीय विभागों के अधिकारी तथा हितग्राही उपस्थित थे।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विधायक श्री दिलीप मकवाना ने कहा कि रतलाम जिले के इस दूसरे रोजगार दिवस के अवसर पर हितग्राहियों को शासन की

कल्याणकारी योजनाओं से वृहद स्तर पर लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित हितग्राही ऋण राशि का सदुपयोग करते हुए अपनी तरक्की की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से पैरों "र खड़ा करने और सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करके वित्त लाभ प्रदान किया जा रहा है। महिलाएं अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने परिवार का मजबूत सहारा बने। श्री मकवाना ने कहा कि राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहीजन अपने आपको इस योग्य बनाएं कि वह अन्य व्यक्तियों को भी बड़े स्तर पर रोजगार दे सके, राज्य शासन आपके साथ हैं। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह रतलाम जिले का दूसरा रोजगार दिवस है। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को वित्त पोषित करते हुए स्वालंबन की दिशा में आगे बढ़ाना है। आगामी मार्च माह में पुनः रोजगार दिवस आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित होकर महिलाएं अपने घर से निकलकर स्वालंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है और अपने परिवार का भी मजबूत सहारा बन रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री दिलीप सेठिया ने शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को प्रदान किए जा रहे ऋण लाभ की विस्तृत जानकारी दी। संचालन श्री हिमांशु शुक्ला ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रसारित उद्बोधन को लाइव देखा-सुना गया। मुख्य अतिथि विधायक श्री दिलीप मकवाना द्वारा कार्यक्रम में पशु चिकित्सा विभाग की योजना के तहत पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान किट प्रदान किए गए।

रोजगार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के लाभ प्रदान किए गए। पशुपालन विभाग की योजना के तहत पशुपालक किसानों को केसीसी प्रदान किए गए। मत्स्य किसानों को भी केसीसी प्रदान किए गए। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उद्यमियों को ऋण प्रदान किए गए।

27-2-22

आयुक्त के बैठक में निर्देश: स्वच्छता कार्य में ओर अधिक गति लायें

रतलाम । स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर स्वच्छता कार्य में ओर अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सफ़ाई कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सीवरेज होम कनेक्शन के पश्चात सूख चुकी नालियों में किसी प्रकार का कचरा ना हो साथ ही गीली नालियों में भी किसी प्रकार से गीला कचरा ना रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाये। साथ ही उन्होने निर्देशित किया। शहर के मुख्य मार्गों की सफाई प्रात: दोपहर व रात्री में प्रतिदिन नियमित रूप से की जाये व सड़क के किनारो, फुटपाथ व डिवाईडरो के आस पास कचरा व मिट्टी की पुरी तरह से सफाई कराई जाये तथा जहां आवश्यकता हो वहां ट्रीटेड वॉटर से धुलाई करवाई जाये। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि नगर के 101 ऐसे उद्यान जहां औषधिय पौधों का रोपण किया गया है। वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से करवाई जाये।

बैठक में उन्होंने कहा कि सीवरेज के ट्रीटेड वॉटर का रियूज भवन निर्माण कार्यो में अधिक से अधिक हो इसलिये झोन प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में कमर्शियल ट्यूबवेलों का सर्वे कर सूची प्रस्तुत करें, ताकि उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकें।

यह थे मौजूद :आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, उपयंत्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, ब्रजेश कुशवाह, निज सहायक सुभाष गोयल, झोन प्रभारी व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

प्रभात किरण 27-2-22

दैनिक भास्कर | रतलाम | रतलाम, रविवार, 27 फरवरी, 2022 | 03

विधायक से मिले पॉलीथिन व्यापारी

रतलाम | नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर पॉलीथिन व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला। पॉलीथिन व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया 1 जुलाई 2022 से 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई कर रहा है। राहुल पोखरना, अर्पित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, यशवंत राठौर, संदीप उपाध्याय, शेखर घोचा, त्रिलोक तिकवानी, प्रमोद लोढ़ा आदि उपस्थित रहे।

मारपीट : रतलाम | बजरंग नगर निवासी निशात फातिमा खान ने पुलिस को बताया पति सलीम खान ने रुबीना से दूसरी शादी की है। उसने मारपीट की। झगड़े की आवाज सुनदेवर सद्दाम बीचबचाव करने आया तो उसे हथौड़ी मार दी, जिससे दाहिने हाथ पर चोट लगी। पुलिस ने केस दर्ज किया है।

अंकुर अभियान : 1 मार्च से 5 मार्च तक शासकीय अधिकारी पौधे लगाएंगे

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने शासकीय कार्यालय परिसरों तथा अन्य स्थानों पर पौधारोपण के लिए निर्देशित किया

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

आगामी 1 मार्च से 5 मार्च तक अंकुर अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। यह पौधारोपण शासकीय अधिकारियों द्वारा अशासकीय कार्यालय परिसरों में कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है, जिनमें घर, बगीचे या खाली भूमि चिन्हित करके उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जा सकेगा।

इस संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित की, जहां सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा अभियान की जानकारी देते हुए बताया गया कि पौधारोपण के साथ ही उसकी जानकारी वायु दूत अंकुर ऐप पर अपलोड करना होगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वयं पौधारोपण करने के साथ-साथ अन्य 15 व्यक्तियों को भी पौधारोपण के लिए मोटिवेट करने के लिए निर्देशित किया।

मौजूद अधीक्षण यंत्री विद्युत ने बताया कि उनके द्वारा 200 पौधे अधीक्षण यंत्री कार्यालय परिसर में लगा दिया गए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ियों, स्कूलों में भी पौधे लगाए जाएं। प्रत्येक शिक्षक एक-एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ले। विभागवार अधिकारियों की संख्या अनुसार आकलन के तहत जिले में 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य बैठक में तय किया गया।

पौधारोपण करके वायुदूत अंकुर ऐप के माध्यम से जानकारी अपलोड की जा सकेगी अथवा एमपी सीएम इवेंट्स पोर्टल या मिस्डकाल के माध्यम से भी सूचना दी जा सकेगी। कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे वाले हिस्से में भी 200 पौधे लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने पौधारोपण को जनआंदोलन का रूप देने के लिए निर्देशित किया।

प्रसारण 27-2-22